न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरुका

सिविल प्रकरण संख्याः– 29/2023 तारीख रजू :– 13.06.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. श्याम बिहारी मथुरिया पुत्र गिर्राज प्रसाद मथुरिया उम्र 49 वर्ष निवासी वार्ड नं 9 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर मैसर्स वृन्दावन विजय गोपाल वार्ड नं 9 खण्डार सवाईमाधोपुर
2. आशीष गोयल पुत्र राजेश गोयल (नॉमिनी) निवासी गोयल भवन, हजारी का मोहल्ला अलवर 301001 मैसर्स श्याम वैभव इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० 01 पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया अलवर ।
3. मैसर्स श्याम वैभव इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० 01 पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया अलवर (निर्माता फर्म)।

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52

निर्णय दिनांक 11/01/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17/10/2022 को सायः 04.00 पी एम पर मैसर्स वृन्दावन विजय गोपाल वार्ड नं 9 खण्डार सवाईमाधोपुर पहुंचे। वहां पर श्याम बिहारी मथुरिया पुत्र गिर्राज प्रसाद मथुरिया उम्र 49 वर्ष निवासी वार्ड नं. 9 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर मिला। उसे अपना परिचय दिया तथा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन मांगा जो उसने पेश किया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु हल्दी पाउडर (मामा) दुकान की रेक में रखा हुआ था। जिसमें से एक व्यक्ति को बेचान कर रहा था। हल्दी पाउडर (मामा) में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जाँच हल्दी पाउडर (मामा) 500 ग्राम के 04 पैकिट खरीदकर उसकी कीमत 280/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की गई जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान बाबूलाल तगाया एवं मधुसुदन मधुरिया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पाउडर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक की डिब्बों को दिखाकर उक्त खरीदशुदा हल्दी पाउडर (मामा) 250 ग्राम के 04 पैकिटों को मूल ही लेकर एक – एक करके प्रत्येक डिब्बों को डाल कर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2473 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–2473 नियमानुसार चारी नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री श्याम बिहारी मथुरिया (मौके पर विक्रता एवं मालिक) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति श्याम बिहारी मथुरिया को देकर रसीद प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। दो फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमां कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/194 दिनांक 21-11-2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/3079/एक्ट/2022/3111 दिनांक 31-10–2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (मामा) Misbrand Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standarad Act 2006 प्रकृति का होना पाया गया है। विक्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस में पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया गया।

यह है कि वृदावन विजय गोपाल खण्डार द्वारा श्याम वैभव इण्ड० अलवर से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं फर्म एवं फर्म मालिक के दस्तावेज प्राप्त किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/600 दिनाक 13/04/2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

यह कि उक्त केस में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड हल्दी पाउडर (मामा) 500 ग्राम का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अभियुक्त संख्या 3 की ओर से कंपनी द्वारा प्राधिकृत अभियुक्त संख्या 2 आशीष गोयल पुत्र राजेश गोयल न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिसब्राण्ड प्रकृति की खाद्य वस्तु हल्दी पाउडर (मामा) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया की उनको अद्यतन नियमों की जानकारी नहीं थी और अब उनके द्वारा भूल को सुधार लिया गया है तथा इस प्रकार की भूल की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होना बतलाया गया। अंत में अभियुक्तगण द्वारा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/3079/एक्ट/2022/3111 दिनांक 31-10-2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (मामा) Misbrand Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standarad Act 2006 पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii)) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः मिसब्राण्र्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (मामा) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय करें तथा वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(नियम 26)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

8
23